राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.2(2)वित्त(नियम)/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक : 27 MAY 2022

आदेश

विषय: UGC एवं AICTE वेतनमानों के अन्तर्गत प्रोबेशनर–ट्रेनी के रूप में नियुक्त समस्त राजकीय महाविद्यालयों (संस्कृत महाविद्यालय / पॉली टेक्निक महाविद्यालय / अभियांत्रिकी महाविद्यालय आदि) के लिये सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती करने बाबत।

संदर्भ: वित्त विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 25–5–2022 एवं 26–5–2022.

वित्त विभाग के संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में UGC एवं AICTE वेतनमानों के अन्तर्गत प्रोबेशनर–ट्रेनी के रूप में नियुक्त समस्त राजकीय महाविद्यालयों (संस्कृत महाविद्यालय / पॉली टेक्निक महाविद्यालय / अभियांत्रिकी महाविद्यालय आदि) प्रोबेशनर–ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से निम्नानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है:

क्र. सं.	पे–मेट्रिक्स में एकेडेमिक पे–लेवल एवं नियत पारिश्रमिक	GPF अभिदान की राशि (रुपये)
1.	AL-9A (Rs 39,300/-)	1400/–
2.	AL-10 (Rs 40,000/-)	1800/–
3.	AL-13A (Rs 92,000/-) एवं AL-14 (Rs 1,01,000/-)	4500/–

माह अप्रेल 2022 एवं माह मई 2022 के GPF अभिदान की कटौती माह मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से (1 जून 2022 को देय) की जावेगी। इन कार्मिकों के नियमित वेतन श्रंखला प्राप्त करने पर GPF अभिदान की राशि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित GPF अभिदान के अनुसार की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना व्यक्तिशः सुनिश्चित कराई जावे।
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

27/5/22
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(GPF 03 / 2022)